न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—378/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/378)

1. मुकेश कुमार पुत्र लादूराम
2. राकेश कुमार पुत्र लादूराम

समस्त जाति ब्राहमण निवासी आदर्श कॉलोनी केकडी तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती ऐजनदेवी पत्नि कैलाशचंद
2. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि महावीर प्रसाद

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अजगरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.11.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 260/2022

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—10.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 260/2022 में पारित निर्णय दिनांक 4.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी सरवाड ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किया गया जिस पर प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश किया गया। वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 बाबत वाद को खारिज किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को जवाब वादीगण ने प्रस्तुत कर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 को खारिज किए जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.11.2022 के द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0 दी0 को स्वीकार करते हुए वादीगण के वादपत्र पूर्व न्याय का सिद्धांत के तहत होना मानकर वादपत्र को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 260/2022 में पारित निर्णय दिनांक 4.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि दिनांक 11.9.2020 को परीक्षण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई वाद या प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया केवल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण किया था तथा वादीगण द्वारा वर्तमान में वाद पत्र प्रस्तुत कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम कर वादीगण की भूमि जो 1/2 हिस्सा है, को गलत तरमीम किया जाकर पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे अनुसार अंकन नहीं कर वादीगण के हिस्से की आराजी का अंकन नक्शे में कम करते हुए वादीगण की आराजी को राजस्व नक्शा में कम दर्शित करते हुए नक्शा छोटा कर दिया जिससे राजस्व नक्शा में वादीगण की आराजी उनके खरीदशुदा कुल रकबे की आराजी से कम दर्शित चली आ रही है। इस पर ध्यान नहीं देकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने उक्त वाद में न तो तनकीयात कायम की गई और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जबकि उनकों उक्त वाद में तनकीयात बनाई जाकर प्रत्येक तनकी को निर्णित करना चाहिए था तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तनकी कायम कर निर्णित करना चाहिए था किंतु उपखण्ड अधिकारी ने वादपत्र में चाहे गए उक्त अनुतोष बाबत पूर्व में भी वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय में पेश किया जाना, तथा वाद पत्र में वर्णित आराजी एवं अनुतोष बाबत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना मानकर रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत मानकर खारिज करने में भूल की है। उक्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 373 थे उक्त आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से खरीद किया है जिसमें वादीगण का पश्चिमी ओर का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का पूर्वी ओर का 1/2 हिस्सा है वादीग़ण की खरीदशुदा 1/2 हिस्से की आराजीयात है उक्त आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है विवादित आराजी पुराने नम्बर 373 व 607 नए की आराजी जो कि खसरा नम्बर 373 का पश्चिम ओर का हिस्सा को, को काश्त करते चले आ रहे हैं एवं खसरा नम्बर 373 के शेष पूर्वी ओर के 1/2 हिस्से को

प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की खरीदशुदा आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया है वर्तमान में खसरा नम्बर 608, 609 की आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है उक्त आराजी को क्रय किए जाने के पश्चात उक्त आराजी का विधिवत रूप से विभाजन किए जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय से दिनांक 11.6.2007 को आदेश प्राप्त कर लिया गया व खसरा नम्बर 373 का बराबर–बराबर हिस्सा करते हुए खसरा नम्बर 373 का 1/2 हिस्सा वादीगण के व शेष 1/2 हिस्सा विभाजित करते हुए विभाजन आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त आदेश की क्रियान्विति में खसरा नम्बर 373 पुराना का बराबर–बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा करते हुए 25–25 बीघा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन किया गया। अपीलांट विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है किंतु राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकार्ड राजस्व नक्शा ट्रेस में दिनांक 11.6.2007 को पारित आदेश की अनुपालना में पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे अनुसार अंकन नहीं कर वादीगण/अपीलांट की आराजी उनके खरीदशुदा कुल रकबे की आराजी से कम दर्शित चली आ रही है। जिसे दुरूस्त करवाने के लिए अपीलांट ने आवेदन पत्र पेश किया था किंतु उपखण्ड अधिकारी ने पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना मानकर वादीगण के वाद पत्र में रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत लागू होना मानकर वाद को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 11 जा0दी0 के तहत अपीलांट वादी का वाद को यह कहते हुए वाद खारिज किया कि पूर्व में वाद निस्तारण हो चुका है इसलिए दूसरा वाद नहीं ला सकते हैं जबकि उपखण्ड अधिकारी ने धारा 11 जा0दी0 के तथ्यों को ध्यान में नहीं रखकर आदेश पारित वादीगण ने तहसीलदार के समक्ष धारा 53 का आवेदन पत्र पेश किया था जिसमें तहसीलदार सरवाड द्वारा 1/2, 1/2 हिस्से का बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया था किन्तु तहसीलदार सरवाड द्वारा जो नजरी नक्शा बनाया गया था जिसमें वादी के बंटवारे में आये खातेदारी खसरा नम्बर 607 के नक्शे को नक्शा सीट में छोटा दर्शाया गया और प्रतिवादी के हिस्से में आये खसरा नम्बर 609 बडा दर्शाया गया जिसे दुरूस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ने रस्पो0 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 के तहत वादी के वाद को खारिज करने में भारी भूल की है जबकि तहसीलदार को नजरी नक्शा समान एवं बराबर नही बनाकर पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने इस बात पर गोर नही किया कि अपीलांट का विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने सरसरी तोर पर ही रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण के वाद पत्र में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होना मानकर खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड का निर्णय डिक्री दिनांक 04.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं अन्य दादरसी जो श्रीमान प्रार्थी के हक में प्रदान करना उचित समझे प्रदान कराने के आदेश पारित किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन श्रीमान

तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 11.06.2007 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विधिक रूप से होने के पश्चात मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण बंटवारे के अनुसार ही काबिज है तथा राजस्व नक्शें में भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तरमीम हो चुकी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी–अपनी भूमि पर निरन्तर दिनांक 11.06.2007 से काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 373 पूर्व दिशा की ओर 25 बीघा भूमि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 608 व 609 है, जो प्रतिवादीगण के मालिकाना हक आधिपत्य में कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है तथा राजस्व नक्शें में भी उसी अनुसार बंटवारा किया गया है तथा वादीगण की आराजी के नक्शा ट्रेस में वादीगण की भूमि का रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही दर्ज है तथा नक्शा ट्रेस भी उसी अनुसार किया हुआ है तथा इस बाबत वादी द्वारा इस बाबत पूर्व में भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष प्रकरण संख्या 2/2020 विचाराधीन था जिसमें श्रीमान तहसीलदार सरवाड द्वारा जांच की जाकर जांच में वादीगण की आराजीयात को वर्तमान नक्शें अनुसार तरमीम में पाया गया जो वर्तमान राजस्व जमाबंदी अनुसारं ही है तथा वादीगण के प्रकरण को दिनांक 11.09.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है तथा अब वादी/अपीलांट तथ्य छिपाकर दुबारा नया प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 11.06.2007 को आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम हो चुकी है तथा वादीगण ने गलत व नाजायज रूप से प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत करते हुए पूर्व में हुए निर्णय के तथ्यों को छुपाते हुए अपीलांटस/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में नया दावा पेश किया था उक्त दावे में रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादी/अपीलांट का दावा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के तहत चलने योग्य नही है यदि अपीलांट/वादी को अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस का अंकन को दुरस्त करवाने हेतु सभी पडौसी खातेदारों को पक्षकार मुर्तिब करते हुए नये दावे के माध्यम से अनुतोष प्राप्त कर सकते थे किन्तु आज दिनांक तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपीलांट द्वारा नही की गई है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर पूर्व में हुए निर्णयों का अध्ययन कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्क्ता नही है अतः अपील अपीलांटस खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबिक खसरा नम्बर 373 रकबा 50 बीघा का दिनांक 11.06.2007 को तहसीलदार, सरवाड के समक्ष सहमति से 1/2–1/2 हिस्से अनुसार करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में संलग्न दावे एवं जवाबदावे के अनुसार वादी व प्रतिवादी 1/2–1/2 हिस्से पर ही काबिज काश्त होना स्वीकार कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादी को तहसीलदार, सरवाड के समक्ष हुए आपसी सहमति से बंटवारे बाबत कोई आपत्ति नही है किन्तु अपीलांट/वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

को आपसी सहमति बंटवारे में आये खसरा नम्बर 607 जो मौके पर तो राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही काबिज है किन्तु आपसी सहमति से किये गए बंटवारे की अनुपालना में नक्शा ट्रेस में उनके हिस्से में आयी आराजीयात खसरा नैम्बर 607 को कम दर्शाया गया है जिस बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज0काश्त0अधिनियम 1955 संपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 14.09.2022 को जवाब दावा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 पेश कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 को स्वीकार कर वादी का वाद धारा 11 के तहत यह कहते हुए खारिज किया गया कि वादपत्र में वर्णित आराजी एवं चाहे जा रहे अनुतोष बाबत पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि वादीगण/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र नक्शा दुरूस्ती बाबत अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या 2/2020 दर्ज किया गया तथा तहसीलदार सरवाड से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार सरवाड द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को ही अपनी रिपोर्ट में अंकन करते हुए उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को प्रेषित किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी द्वारा तैयार की गई एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र कैम्प कोर्ट प0स0 सरवाड में सरसरी तौर पर दिनांक 11.09.2020 को खारिज किया तत्पश्चात अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गतधारा 88, 188, 209 राज0काश्त0अधिनियम 1955 संपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 11जा0दी0 के तहत खारिज किया। जबकि अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 में यह उल्लेख किया गया है कि–"कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन व या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी एसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।" प्रश्नगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 2/2020 निर्णय दिनांक 11.09.2020 को पारित निर्णय को आधार बनाकर अपीलांट/वादी के वाद को अन्तर्गत धारा 11 के तहत खारिज किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया था जिसमें रेस्पोडेन्ट/ प्रतिवादी पक्षकार नही थे तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अनुतोष भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज0काश्त0अधिनियम 1955 संपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से भिन्न था। पूर्व प्रार्थना पत्र 2/2020 में तहसीलदार को मौका रिपोर्ट बनाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रिपोर्ट न बनाकर हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधारा पर निर्णित किया है पटवारी हल्का की एकपक्षीय मौका रिर्पोट राजस्व रिकार्ड को अधिक्रमण(सुपरसीड) नही कर सकती है। जहां विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो वहां वाद पत्र को अन्तर्गत धारा 11 के तहत खारिज न कर, दावे तथा जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए सरसरी तौर पर वादी/अपीलांट का वाद अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 में वर्णित प्रावधानों के बाहर जाकर खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है क्योंकि पूर्व के प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत वाद पत्र में समान पक्षकार नही थे तथा ना ही समान कॉज ऑफ एक्शन था। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 260/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.11.2022 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण को दर्ज कर तहसीलदार, सरवाड से रिकार्ड एवं मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में मंगवायी जाकर, दावें तथा जवाब दावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 एवं जवाब अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नये सिरे से गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner